निदेशक कार्यालय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

फा.सं.40-30/2024-स्था.I

दिनांक : 14 नवम्बर 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एम्स, नई दिल्ली में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट की आंतरिक ढुलाई संबंधी।

यह देखा गया है कि एम्स, नई दिल्ली में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट की आंतरिक ढुलाई का प्रबंधन वर्तमान में एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत, एक सामान्य जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ) का निर्दिष्ट ऑपरेटर, उचित उपचार और अंतिम निपटान के लिए अधिभोगी के परिसर से जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट को ऑफ-साइट उपचार केन्द्र में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि, नियमों के अंतर्गत परिसर के अन्दर ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन और ढुलाई के लिए किसी विशेष एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती है।

अन्य प्रमुख स्वास्थ्य उपचार केन्द्रों में इसकी प्रक्रिया की समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि अन्य अस्पतालों में सीबीडब्ल्यूटीएफ ऑपरेटर द्वारा पिक-अप हेतु उत्पादन बिंदुओं से एक सामान्य संग्रह स्थल तक जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट की ढुलाई के प्रबंधन हेतु आंतरिक प्रणालियां हैं। हालाँकि, एम्स में, इस कार्य को करने के लिए एक आउटसोर्स एजेंसी को लगाया गया है, जिससे इस कार्य पर काफी ट्यय होता है।

इन विचार-विमर्श के मद्देनजर, वर्तमान व्यवस्था का आंकलन करने और आंतरिक जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट की ढुलाई के प्रबंधन के लिए सबसे कुशल और वितीय रूप से मितव्ययी दृष्टिकोण पर निर्णय लेने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। सम्पूर्ण चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- एम्स अब अपने परिसर में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के आंतरिक प्रबंधन और इसकी ढुलाई की जिम्मेदारी संभालेगा, जिसका उद्देश्य वितीय मितव्ययता को बढ़ाना और कुशल संक्रमण नियंत्रण पद्धतियों को सुनिश्चित करना है।
- 2. एम्स के संबंधित उपयोगकर्ता क्षेत्र अपने-अपने क्षेत्रों में निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने हेतु इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारीगण को नामित और तैनात करेंगे।

- 3. अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला प्रत्येक केंद्र या क्षेत्र अपने-अपने क्षेत्रों में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के सुरक्षित संचालन हेतु आवश्यक सामग्री और उपकरण खरीदने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
- 4. सीबीडब्ल्यूटीएफ के वर्तमान ऑपरेटर सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए इस कार्य के परिवर्तन-काल में संचालन संबंधी सहायता करेगें।
- 5. सभी केंद्रों/क्षेत्रों/विभागों को सुरक्षित और विनियामक-अनुपालन अपशिष्ट प्रबंधन पद्धितियों को सुनिश्चित करने के लिए जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के संगत प्रावधानों का अवश्य अन्पालन करना चाहिए।
- 6. इस पहल का उद्देश्य परिसर के अन्दर जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन की दक्षता और लागत-प्रभावकता को बढ़ाना है, जबिक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट विनियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना है। सभी संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्य के परिवर्तन को सुचारू रूप में पूरा करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

यह निर्णय दिनांक 17.11.2024 से लागू किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों और उपयोगकर्ता क्षेत्रों को परिवर्तन-कार्य को सहज और सरल बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और एम्स परिसर के अन्दर जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन में संशोधित प्रोटोकॉल का पालन करने का निदेश दिया जाता है।

(प्रो. एम श्रीनिवास)

निदेशक

प्रतिलिपि: (इसे अपने नियत्रंणाधीन सभी अधिकारियों में परिचालित करने के अनुरोध सहित)

- संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)
- अपर निदेशक (प्रशासन)
- चिकित्सा अधीक्षक, (एम्स)
- सभी केंद्र-प्रम्खगण/अध्यक्ष, एनसीआई, झज्जर
- सभी विभागाध्यक्षण
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार
- प्रभारी-आचार्य, कम्प्यूटर स्विधा

OFFICE OF THE DIRECTOR

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Ansari Nagar, New Delhi-110029

F.No.40-30/2024-Estt.I

Dated: 14th November 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Intramural Transportation of Biomedical Waste at AIIMS, New Delhi reg.

It has been observed that the intramural transportation of biomedical waste at AIIMS, New Delhi, is currently being managed by an outsourced agency. Under the *Biomedical Waste Management Rules, 2016*, the designated operator of a Common Biomedical Waste Treatment Facility (CBWTF) is responsible for transporting biomedical waste from the occupier's premises to an off-site treatment facility for proper treatment and final disposal. However, the rules do not require a specialised agency for handling and transportation of such waste within the premises.

Upon reviewing practices at other major healthcare facilities, it is noted that other hospitals have internal systems in place for managing the transportation of biomedical waste from generation points to a common collection site for pick-up by the CBWTF operator. However, at AIIMS, an outsourced agency has been engaged to handle this task incurring a substantial expenditure on this service.

In light of these considerations, a review meeting was held to assess the current arrangement and decide on the most efficient and financially prudent approach for managing intramural biomedical waste transportation. After thorough discussion, the following decisions were made:

- 1. AIIMS will now assume responsibility for the in-house management of biomedical waste handling and transportation within its premises, aiming to enhance financial prudence and to ensure good infection control practices.
- 2. The respective user areas within AIIMS will designate and deploy necessary manpower for this purpose to ensure seamless operation within their respective areas.
- 3. Each centre or area generating waste will also be responsible for procuring necessary supplies and equipment required for safe handling of biomedical waste within their respective areas.
- 4. The current operator of CBWTF will support the transition, ensuring continuity of services.
- 5. All Centres/areas/departments must comply with the relevant provisions of the Biomedical Waste Management Rules, 2016, to ensure safe and regulatory-compliant waste management practices.
- 6. This initiative aims to enhance the efficiency and cost-effectiveness of biomedical waste management within the campus while ensuring full compliance with biomedical waste regulations. All concerned departments are requested to extend full cooperation to achieve a smooth transition.

This decision is to be implemented w.e.f. 17.11.2024. All concerned departments and user areas are directed to take necessary actions to facilitate a smooth transition and adhere to the revised protocols in managing biomedical waste within the AIIMS premises.

Dr (4/11/2004)

(Prof. M. Srinivas)

Director

Copy to: (with a request to also circulate it to all officials under their control)

- Dean/s (Academic, Research, Examination)
- Addl. Director (Admin)
- Medical Superintendent (AIIMS)
- Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
- Heads' of all Departments
- Sr. Financial Advisor
- Prof. I/c Computer Facility